86. 3 केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों में विभिन्न बोर्ड स्तरीय पदों के लिए अर्हता/अनुभव निर्धारित करना।

अधोहरताक्षरी को निदेश दिया जाता है कि वे एसीसी के निर्देशों की सूचना देते हुए उपर्युक्त विषय पर इस विभाग का 8 अप्रैल, 2009 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 2 फरवरी, 2009 का का.ज्ञा. सं. 44011/8/2006–स्था (ख) देखें कि सभी मंत्रालय केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम में विभिन्न पदों हेतु नियमों व अर्हताओं की समीक्षा/अद्यतनीकरण करें/उन्हें बनाएं (प्रतिलिपि संलग्न)। एसीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी प्रशानिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे लोक क्षेत्र उपक्रमों में बोर्ड स्तरीय पदों के लिए भर्ती नियमावली की समीक्षा/अद्यतनीकरण करें/उन्हें अंतिम रूप दे, और डीपीई और पीईएसबी को छायाप्रति सहित, इस संबंध में सूचना, 15.04.2009 तक मुहैया करें।

2. विभाग को अभी तक महज कुछ ही प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से स्थिति रिपोर्ट मिली है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर चिंता व्यक्त की है।

3. अतः सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन के तहत केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में विभिन्न बोर्ड स्तरीय पदों हेतु भर्ती नियमावली (कार्य निर्धारण अर्हता और भर्ती नियम) की समीक्षा/अद्यतनीकरण/उन्हें बनाने हेतु कार्रवाई करें और इस संबंध में पीईएसबी को छाया प्रति सहित व्यापक स्थिति रिपोर्ट 03.07.2009 तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को दें।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 18(21)/2005–जीएम, दिनांक, 24 जून, 2009)

*****